34

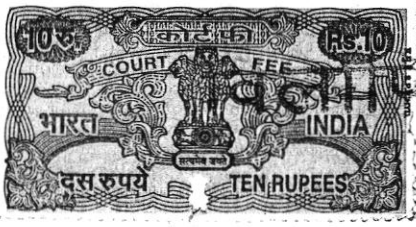

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

II/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/0688

प्र.क. /2018 निगरानी

जोर सिह मृत वारिसान

1. जगदीश सिंह पुत्र जोरसिंह
2. यशपाल सिह पुत्र जोरसिंह
3. मुस. विटटो देवी वेवा जोरसिंह ठाकुर समस्त निवासीगण ग्राम चक्की का पुरा सिलावली तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

–––आवेदकगण

बनाम

अजेन्ट सिंह मृत वारिसान

1. मुस. चम्पादेवी वेवा स्व. श्री अजेन्ट सिंह
2. विनोद सिह
3. सिनोद सिंह निवसीगण ग्राम सिलावली तह. पोरसा जिला मुरैना म.प्र.
4. श्रीमती विटोली पुत्री श्री छोटेसिंह जाति ठाकुर निवासी सिलावली तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.
5. रानी वेवा पत्नी थम्मन सिंह निवासी सिलावली तहसील पोरसा जिला मुरैना
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

–––अनावेदकगण

श्री सतेन्द्र सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि0 25.1.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-2-18 नियत।

25.1.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सतेन्द्र सिंह धाकड़ एड.
25.1.18

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. अम्बाह कैम्प पोरसा जिला मुरैना के प्रक. 74/2008–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

माननीय न्यायालय,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / मुरैना / भू.रा / 2018 / 0688

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
07–3–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 74 / अपील / 2008–09 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 12.01.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रकरण जानबूझकर लंबित किया जा रहा है प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है तथा प्रकरण में 15 पेशियों से अधिक पेशियां लग चुकी है। 3– प्रकरण के अवलोकन से यह भी सिद्व होता है कि दिनांक 12.1.18 को आवेदकगण कमांक–2 एवं 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा पुनश्चः कर पुनः आदेश पत्रिका का लेख किया गया है। अतः प्रकरण लंबित किया जा रहा है । इस हेतु कलेक्टर जिला मुरैना को अर्द्व शासकीय पत्र जारी कर इस आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जावे कि अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित करें कि प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निराकृत की जाती है। सदस्य	